समाहरणालय, मुंगेर।

[illegible]

अल्पकालीन निविदा संख्याः-   /2013-14

वर्ष 2013 के संभावित बाढ़ के समय प्रभावित परिवारों को साहाय्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराने के लिए अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता प्रर्याप्त मात्रा में होगी। तदनुसार निम्न सामग्रियाँ जिसकी पूर्ण विवरणी अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिए इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं से तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग-अलग सीलबन्द लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

(1) निविदा दाताओं को मो0 10,000/-(दस हजार रूपये) की जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत प्रशाखा मुंगेर में जमा करनी होगी जो जिला पदाधिकारी मुंगेर के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि ....10/7/13.. के अपराहन् ..03....... बजे तक होगी। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराहन् ....04...... बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय [illegible]

सामग्रियों की विवरणी

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	प्लास्टिक थैला	5 K.G. एवं 2.5 K.G. का (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगा।
2.	पोलेथिन सीट्रम	4 MTX5M.T.G. (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो (डी0जी0एस0एण्ड डी0 के द्वारा निर्धारित माप दण्ड स्पेसी फिकेसन)
3.	चूड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
4.	चना/दाल मसूर/अरहर/चना/मूंग	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
5.	गुड़ दानेदार सफेद	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
6.	सत्तु चना का	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
7.	आयोडाईज्ड	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में होगा।
8.	दिया-सलाई बड़ा साईज लम्बाई 3 "चौ0 2.5"	उत्तम किस्म का	प्रति पैकेट 12 की संख्या में होगा।
9.	मोमबत्ती लम्बाई बड़ा साईज का	10 "मोटाई 2.5"	प्रति पैकेट 6 की संख्या में होगा।
10.	चीनी मोटा सफेद	मोटा सफेद	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
11.	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट चौड़ाई 1.5 फीट	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
12.	लकड़ी जलावन सूखा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
13.	पाव रोटी उत्तम किस्म का	200 ग्राम का पाकेट	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
14.	मिनरल वाटर	उत्तम किस्म का	दर प्रति बोतल में अंकित होगा।
15.	आटा उत्तम किस्म	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
16.	सरसों तेल (ISI मार्का सहित)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
17.	मसाला जीरा/हल्दी/धनियां/लाल मिर्च पावडंर/गोल मिर्च	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
18.	आलू-प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
19.	जेनरेटर भाड़े पर	भाड़े पर	दर प्रतिदिन में अंकित होगा।

20.	जेनरेटर से चलने वाले सभी प्रकार के लाईट	भाड़े पर	दर प्रतिदिन में अंकित होगा।
21.	वाटर प्रुफ टेन्ट पंडाल	भाड़े पर	दर प्रतिदिन में अंकित होगा।
22.	खाना बनाने वाला सभी प्रकार का बर्त्तन	भाड़े पर	दर प्रतिदिन में अंकित होगा।
23.	खाना बनाने का गैस/चुल्हा भटठी	भाड़े पर	दर प्रतिदिन में अंकित होगा।
24.	धोती	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
25.	साड़ी	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
26.	लूंगी	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
27.	गमछा	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
28.	गंजी	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
29.	दरी उत्तम किस्म का	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
30.	थाली स्टील का	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
31.	कटोरा/ग्लास स्टील का	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।
32.	चटाई	सभी साईज का	प्रति अदद में अंकित होगा।

निविदा का आवश्यक शर्तें :-

(1.) निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत नमुना के अनुरूप उचित संख्या, साईज गुएवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित् रूप से कर देगें एवं आवश्यकतानुसार जिला के सभी 09 अंचल मुख्यालय तक सामग्री पहुँचा देंगे।

(2.) स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता नमुना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।

(3.) खाद्यान्न की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायगा।

(4.) निविदा के साथ अपनी दुकान की अनुज्ञप्ति वाणिज्य कर निबंधित वैट सं0 एवं आय कर विभाग का स्वच्छता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा है।

(5.) निविदा के सभी सामग्रियों का दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यकता है।

(6.) निविदा खोलने के दिन सभी सामाग्रियों का नमूना साथ में लायेगें, ताकि उनकी गुणवत्ता, वजन आदि की जाँच की जा सकें।

(7.) सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा।

(8.) स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरुप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्ति कर्त्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायगा।

(9.) स्वीकृत निविदा दाताओं को छोड़कर शेष जमा राशि वापस कर दी जायगी।

(10.) बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरीा को सुरक्षित रहेगा।

(11.) कोई भी निविदा या दावा मुंगेर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होग। विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा मुंगेर जिला से सम्पर्क कर सकतें है।

(12.) आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वी0एस0टी0 /टी0ओ0पी0 देय होगा जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।

(13.) सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायगी। विस्तृत जानकारी के लिए वेवसाईट पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

E:\NANNHE\AApda Section\Apda NIBIDA.doc